124

संख्याःपीसीएच–एचबी (1)16/2001 –पं0सहा0।।–73791–73858
हिमाचल प्रदेश सरकार,
पंचायती राज विभाग ।

सेवा में,

समस्त
मुख्य कार्यकारी अधिकारी पंचायत समिति एंव
खण्ड विकास अधिकारी हिमाचल प्रदेश।

शिमला–9, दिनांक 30 अक्तुबर, 2017.

विषय :– **पंचायतों में कार्यरत कर्मचारियों के पक्ष में कार्य कुशलता प्रमाण पत्र/न देय प्रमाण पत्र व अन्य वांछित अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने के सम्बन्ध में**

महोदय/महोदया,

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में विभाग के ध्यान में आया है कि ग्राम पंचायतों में कार्यरत कर्मचारियों के पक्ष में कार्य कुशलता प्रमाण पत्र/न देय प्रमाण पत्र तथा अन्य वांछित अनापत्ति प्रमाण पत्र खण्ड विकास अधिकारी स्तर से सम्बन्धित ग्राम पंचायत जिसमें वह कार्यरत रहा/रही है, की रिर्पोट प्राप्त किए बगैर ही जारी किए जा रहे हैं, जिसके कारण ऐसे कर्मचारी पदोन्नति तथा अन्य लाभ प्राप्त कर रहे है जिनके आचरण या तो ठीक नहीं है; या फिर उनके पास ग्राम पंचायत निधि की वसूली इत्यादि शेष रहती है। अतः उक्त प्रमाण पत्र सम्बन्धित पंचायत की सिफारिशों के आधार पर जारी होने चाहिऐ।

उपरोक्त के दृष्टिगत आपको सूचित किया जाता है कि भविष्य में ग्राम पंचायतों में कार्यरत कर्मचारियों के पक्ष में कार्य कुशलता प्रमाण पत्र/न देय प्रमाण पत्र तथा अन्य वांछित अनापत्ति प्रमाण पत्र सम्बन्धित पंचायत द्वारा ग्राम पंचायत के पारित प्रस्ताव के माध्यम से की गई सिफारिश अनुसार जारी किए जाये। उक्त निर्देशों का अक्षरशः पालन करना सुनिश्चित करें; इसके साथ–2 ग्रामीण विकास विभाग के कार्यालय आदेश संख्याः आरडीडी–।।.बी (15)2/2017 (मोनटरिंग) 6086–6213 दिनांक 17 अक्तुबर, 2017 की पालना करना भी सुनिश्चित किया जाये, जिसकी प्रति आपको पहले ही जारी की जा चुकी है।

भवदीय

(केवल शर्मा)
अतिरिक्त निदेशक पचांयती राज
हिमाचल प्रदेश शिमला–9
दूरभाष संख्याः 2623805 (e-mail ID jointdirectorprhp@gmail.com)

पृ0सं0 उपरोक्त– 73859–73872 शिमला–171009 दिनांक 30 अक्तुबर, 2017.
प्रतिलिपि प्रषितः–

1. संयुक्त निदेशक ग्रामीण विकास विभाग हिमाचल प्रदेश शिमला–9 को सूचनार्थ
2. समस्त सचिव, जिला परिषद एंव जिला पंचायत अधिकारी हिमाचल प्रदेश को सूचनार्थ।

(केवल शर्मा)
अतिरिक्त निदेशक पचांयती राज
हिमाचल प्रदेश शिमला–9
दूरभाष संख्याः 2623805 (e-mail ID jointdirectorprhp@gmail.com)